# *खुदरा भुगतानों में नवाचार**

## *उर्जित आर. पटेल*

1. श्री महापात्र, चेयरमैन, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), श्री नंदन नीलेकणी, श्री दिलीप असबे, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एनपीसीआई, बैंकर और विशिष्ट अतिथिगण। मुझे आज आपके बीच यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के परिष्कृत संस्करण को लांच करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आरबीआई के योगदान के बारे में नंदन के सुंदर शब्दों ने मुझे अभिभूत कर दिया है। यदि हम पहले के लोगों द्वारा रखी गई पक्की नींव का श्रेय उन्हें नहीं देंगे तो यह हमारी अशिष्टता होगी; क्योंकि उनके द्वारा किए गये कार्य के कारण ही हम तेजी से प्रगति कर सके हैं।

2. भुगतान और निपटान प्रणालियां आधुनिक अर्थव्यवस्था का दिल है। यही मानते हुए रिज़र्व बैंक अनेक वर्षों से ऐसे अनेक उपाय करता रहा है जिनके परिणामस्वरूप भारत की भुगतान प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। भारत को (i) द्वितीय कारक अधिप्रमाणन; (ii) एकीकृत भुगतान संरचना; और (iii) भारत क्विक रेसपॉन्स (क्यूआर) प्रोटोकॉल के लिए अग्रणी माना जाता है। हाल ही में इस क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों के कारण हमारे नागरिकों द्वारा अपनी निधि अंतरण अपेक्षाओं के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियों और उत्पादों के प्रयोग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है।

3. भुगतान और निपटान प्रणालियों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्वप्न (विजन) समाज के सभी वर्गों द्वारा इलेक्ट्रोनिक भुगतान को और अधिक बढ़ावा देने का है। इसके लिए और तेज प्रोसेसिंग के उद्देश्य से सुरक्षा, रक्षा और प्रौद्योगिकीय सोल्यूशन्स के साथ वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करते हुए और साथ ही प्रयोक्ता की सुविधा संबंधी आयामों में सुधार करते हुए अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्यसे एक मजबूत संरचना की स्थापना की गई है। रिज़र्व बैंक जहां मुख्यत: सक्षम बनाने वाले समुचित विनियमों, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपयुक्त पर्यवेक्षण तथा ग्राहक केंद्रित नीतियाँ बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगा, वहीं परिचालनकर्ताओं को साइबर सुरक्षा, प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था और ग्राहक प्रभारों को तार्किक बनाने पर उचित ध्यान देना चाहिए। परिचालनकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइबर सुरक्षा के संबंध में कोई कसर बाकी न रखें - वस्तुत: नेटवर्क एनवायरमेंट में हम उतने ही मजबूत होते हैं जिनती हमारे नेटवर्क की सबसे कमजोर कड़ी। हमें स्वयं ध्यान रखना होगा कि हम अपने कामकाज से पूरी की पूरी प्रणाली को संकट में न डालें - इस संबंध में लागत में बचत करने से परहेज करना होगा।

4. इस सबके मूल में संस्था निर्माण और समन्वय की आवश्यकता निहित है। इसी के तहत एनपीसीआई अस्तित्व में आया। आरबीआई ने वर्ष 2008 में 10 मूल प्रवर्तक बैंकों के साथ एनपीसीआई की स्थापना को सुगम बनाया, वर्तमान में यह 56 बैंकों के व्यापक आधार पर स्थित है। एनपीसीआई का मुख्य उद्देश्य सुविधाजनक, 'कभी भी- कहीं भी' भुगतान सेवाओं का प्रावधान करना था, जो सुरक्षित और प्रयोग करने में आसान हों । एक गौण उद्देश्य यह भी था कि एक किफायती भुगतान प्रणाली बनाई जाए, जिसका लाभ आम आदमी उठा सके और साथ ही, वित्तीय समावेशन में तेजी लाई जा सके।

5. यूनीफाइड पेमेन्ट्स इंटरफेस (यूपीआई) एनपीसीआई के सबसे सफल उत्पादों में से एक है, जो (किसी भी सहभागी बैंक के) एकल मोबाइल एप्लीकेशन में कोई भी संवेदनशील सूचना दिए बिना अनेक बैंक खातों में निधि अंतरण और विभिन्न प्रकार के भुगतान करने की शक्ति देता है। यह मोबाइल उपकरणों पर 365X24X7 आधार पर भुगतान, यूटिलिटी बिल भुगतान, 'ओवर द काउंटर' भुगतान, क्यूआर कोड (स्कैन और अदा करें) आधारित भुगतान और इसी प्रकार के अन्य भुगतानों की सुविधा देता है। यूपीआई ने अपनी शुरुआत से ही मात्रा और मूल्य - दोनों ही दृष्टियों से अच्छी खासी संवृद्धि दर्शाते हुए स्वयं को खुदरा निधि अंतरणों के लिए एक विश्वसनीय माध्यम के रूप में स्थापित किया है।

6. मुझे खुशी है कि भारत में डिजिटल भुगतान क्षमताओं का दायरा बढ़ाने के लिए आज यूपीआई का परिष्कृत संस्करण लांच किया जा रहा है। यह नए क्षेत्रों को खोलेगा, जैसे कि कंपनियों के प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग के लिए खुदरा आवेदन, जिसकी प्रोसेसिंग अब यूपीआई के माध्यम

* 16 अगस्त 2018 को मुंबई में यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), वर्शन 2 के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए श्री उर्जित आर. पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक.

से की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि यूपीआई 2.0 *सरलता, सुरक्षा और सटीकता* का उच्चतर स्तर प्राप्त करेगा, जो कि इको सिस्टम के अन्य उत्पादों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में होगा। मुझे जानकारी मिली है कि यूपीआई के इस नए संस्करण में निम्नलिखित वर्धित विशेषताओं को शामिल किया गया है, जैसे:

i. इनबॉक्स में इनवॉइस : जिस व्यक्ति ने भुगतान करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया है, जैसे बिल या कोई इनवॉइस, तो वह भुगतान प्राधिकृत करने से पहले उसे देख सकता है, ताकि भुगतानकर्ता भुगतान के प्रयोजन के प्रति पूरी तरह जागरूक रहे।

ii. साइन्ड इन्टेन्ट/ क्यूआर : यह एक व्यक्ति को किसी भी सुसंगत एप्लीकेशन पर यूपीआई को अलग से खोले बिना उसी मोबाइल डिवाइस पर इनीशिएट किए गए भुगतान लेनदेन को प्राधिकृत कर सकता है। इसके फलस्वरूप यह उपयोग में आसान होगा, वह भी सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना।

iii. फंड ब्लॉक करने के लिए यूपीआई को मैंडेट : यह बार-बार / आवधिक रूप से किए जाने वाले भुगतानों के लिए स्वत: डेबिट मैंडेट के पंजीकरण की अनुमति देता है और यह मैन्युअल खाता आधारित परिचालन व्यवस्था में दिए जाने वाले स्थायी अनुदेश जैसा ही होगा; तथा

iv. ओवरड्राफ्ट खाते के लिए यूपीआई : यह ऐसे ऋण खातों पर लेनदेन की सुविधा देता है जिनका अब तक प्रावधानीकरण न किया गया हो, और इस प्रकार यूपीआई की व्याप्ति को और अधिक बढ़ाया गया है। एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 'प्रति-लेनदेन' सीमा को इसके वर्तमान ₹1.0 लाख के स्तर से बढ़ाकर ₹2.0 लाख कर दिया गया है। इससे मोबाइल फोन पर बड़ी राशि वाले लेनदेन तत्काल करने में सहायता मिलेगी।

उक्त सभी में यह बताना जरूरी है कि ये सभी वर्धित क्षमताएं यूपीआई के सुरक्षित आधार पर चलेंगी, जो न केवल अच्छी तरह स्टेबलाइज हो गया है, बल्कि यह भुगतान का एक पसंदीदा विश्वसनीय माध्यम बन चुका है।

मुझे बताया गया है कि यूपीआई में और भी सुविधाएं बढ़ाए जाने की संभावनाएं है। इनमें से कुछ संभावनाओं में शामिल हैं - इसके मानकीकृत फॉर्मेट और स्वरूप को देखते हुए भविष्य की नई भुगतान प्रणालियों के साथ इसके एकीकरण की क्षमता; देश में विकसित अनेक संभावनाशील ई-कॉमर्स एप्लीकेशन्स के साथ एकीकरण की क्षमता; डिजिटल मोड का प्रयोग करते हुए उभरते नवोन्मेषी सुपुर्दगी माध्यम और ऐसी ही कई अन्य। इससे इसकी विविधता (अपेक्षाकृत कम लागत पर) भी रेखांकित होती है।

7. एनपीसीआई ने अपने अस्तित्व के लगभग एक दशक के दौरान एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान संरचना (एसआईपीआई) की हैसियत प्राप्त कर ली है। हैसियत के साथ साथ-साथ जिम्मेदारी भी आती है और मुझे विश्वास है कि एनपीसीआई एक अग्रणी भुगतान प्रणाली प्रदाता की अपनी भूमिका में और भी उत्कृष्टता लाएगा। मुझे यह भी विश्वास है कि एक प्राधिकृत एसआईपीआई के रूप में एनपीसीआई अच्छे गवर्नेंस, कारोबारी निरंतरता, नवाचार, विश्वसनीयता और सुदृढ़ता के उच्चतम स्तरों को प्राप्त करता रहेगा। इसे अपने कार्यनिष्पादन का एक प्रत्याशित स्तर निर्धारित करते हुए तकनीकी गिरावट, कारोबारी गिरावट, प्रोसेसिंग की गति और क्षमता आदि के संबंध में अपनी प्रणालियों और उत्पादों का निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए।

8. अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि भारत में भुगतान प्रणालियों का स्वस्थ विकास हो रहा है। यह रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए सुविचारित दृष्टिकोण का परिणाम है - जिसने प्रारंभिक वर्षों में एक विकासकर्ता की भूमिका में, और बाद के वर्षों में एक प्रेरक एवं सुविधा-प्रदाता के रूप में योगदान किया। आज न केवल हमारी प्रणालियों की तुलना विश्व में कहीं भी प्रचलित प्रणालियों से की जा सकती है, बल्कि उन्होंने ऐसे मानक और अच्छी प्रथाएं अपनायी हैं जो दूसरों के लिए अनुकरणीय बनी हैं। आने वाले समय में भी, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विनियमन के द्वारा प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहन मिले। मुझे विश्वास है कि यूपीआई जैसे उत्पाद देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल भुगतान सेवा उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। मैं एनपीसीआई को यूपीआई के दूसरे संस्करण की शुरुआत के लिए बधाई देता हूं और इस उत्पाद की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।